प्रकरण संख्या 77/2015 2017/00018 ता0रजू 18.06.2015

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव आई.ए.एस.

कल्याण प्रसाद पुत्र गिरवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी करौली जरिये मुख्तयार आम अब्दुल गफ्फार पुत्र खेराती जाति मुसलमान निवासी करौली तहसील व जिला करौली

– अपीलाण्ट

बनाम

आयुक्त, नगरपरिषद करौली – रेस्पोण्डेण्ट

<u>अपील में स्थगन प्रार्थना पत्र</u>

निर्णय दिनांक 06.11.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकार अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि इससे संबंधित उनवानी अपील कल्याण प्रसाद बनाम आयुक्त नगरपरिषद करौली मुकदमा नंबर 20/2015 दिनांक 06.11.2019 को ही खारिज की जा चुकी है। यह प्रार्थना पत्र उसी का एक हिस्सा होने पर कोई कार्यवाही आगे किया जाना अपेक्षित नही है और इसे आगे चलाया जाना न्याय संगत नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थी बाबत धारा 212 आर.टी.एक्ट का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:08:08 IST
Reason: SelfAttested